

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(24)एमई/ग्रुप-1/2021

जयपुर, दिनांक : 19 JAN 2022

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा डॉ. प्रशांत रणवा (मेरिट संख्या-08, वर्ग-BC) को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर नवनियुक्ति प्रदान कर, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में पदस्थापित किया गया था तथा कार्यग्रहण हेतु आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि दी गई।

डॉ. रणवा को उनके स्वयं के निवेदन पर विभागीय आदेश दिनांक 12.10.2021 द्वारा कार्यग्रहण अवधि में 02 माह की अभिवृद्धि प्रदान की गई थी। उक्त 02 माह की अवधि पूर्ण होने पर भी पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर विभागीय समसंख्यक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 16.12.2021 के द्वारा डॉ. रणवा को सूचित किया गया कि नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर, इस विभाग को अवगत करावे। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। डॉ. रणवा के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा डॉ. प्रशांत रणवा का वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद हेतु जारी किया गया नियुक्ति आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

13/1/22
(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ.-7(38)(1-41)भर्ती 'ख' / गोपनीय / 2018-19 / 543 दिनांक 23.07.2021 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
5. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डॉ. प्रशान्त रणवा पुत्र श्री राजाराम रणवा, J-16, मॉडल टाउन, यूआईटी रोड, श्रीगंगानगर (राज.)-335001 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव